न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—00057/2020/225

1. शमसुदीन पुत्र अब्दुल,
2. अकबर पुत्र अब्दुल,
3. कयामुदीन पुत्र हकीम,
4. इमामुदीन पुत्र हकीम,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. साबूदीन पुत्र चांद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 7.10.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 120/2017.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, एवं श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 18.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 7.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीसांगन के खाता संख्या 1671 खसरा नंबर 836 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसके लगते हुए पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी खसरा संख्या 828, 826, 825,835, 827, 835/6094 की आराजी है जिससे प्रार्थी ग्रेवल सड़क तक आने जाने की लिए एकमात्र रास्ता है इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है । अतः रास्ता नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी में से 12 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत तक की लबांई में कीमतन रास्ता चाहता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी में से 12 फिट चौड़ा कीमतन रास्ता स्वीकृत करके राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते को दर्ज किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 7.10.2019 के द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित

किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनयी है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आवंटन पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत कर रेस्पे0 संख्या 1 के खते खसरा नंबर 836 की भूमि पर आवागमन हेतु अपीलांटस के खेत खसरा नंबर 828, 826, 825,835, 827, 835/6094 के पश्चिमी दिशा की ओर 12 फुट का रास्ता दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया तथा आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के पास उसकी खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु विकल्प में कोई रास्ता नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किय है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । ग्राम पीसांगन से पीपलिया ग्रेवल रोड़ के पूर्व दिशा की ओर खसरा नंबर 866, 864 एवं 853 जो कि सिवायचक भूमि से होकर खसरा नंबर 853 के दक्षिण में स्थित खसरा नंबर 838 जो कि श्रीमती माया देवी की खातेदारी भूमि है के पश्चिमी सींव से ही खसरा नंबर 836 की पिलाई हतु पाईप लाईन भी डली हुई है । उक्त अनुसार पश्चिम सींव से होकर खसरा नंबर 836 पर आवागमन का सुलभ रास्ता चला आया है परन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त कथन को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 की भूमि खसरा नंबर 836 पर आवागमन का सुलभ रास्ता कदीमी समय से चला आया है जिसका उपयोग रेस्पो0 संख्या 1 एवं इससे पूर्व खसरा नंबर 836 के खातेदार के द्वारा लिया जाता रहा है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 का कथन कि उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई रास्ता नहीं हो किया गया कथन गलत है । अधी0न्याया0 ने वास्तविक स्थिति की बिना जांच किये एवं अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा तहसीलदार, पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो तहसीलदार के बजाय गिरदावर हल्का के द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 25.6.2019 को अपीलांटस को सूचित किये बिना एवं मौके की वास्तविक स्थिति के प्रतिकूल गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । गिरदावर हल्का द्वारा एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 19.7.2019 को प्रस्तुत की गई जिसमें यह कथन किया कि खसरा नंबर 828, 827, 835/6094, 835, 826 व 825 के सहारे निकटत रास्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिससे यह प्रमाणित है कि रेस्पो0 संख्या 1 के पास अपील के पैरा संख्या 3 में दर्शाये अनुसार रास्ता चला आया है । इस प्रकार अधी0न्याया0 के समक्ष हल्का गिरदावरी के द्वारा भिन्न भिन्न मौका रिपोर्टे प्रस्तुत की गई जो विरोधाभाषी है जिसके आधार पर पारित निर्णय भी निरस्तनीय किय जाने योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 7.2.2020 को ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जाना दर्शाया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निर्णय निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा आवेदन पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया जिसे भी अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णित किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के

समर्थन में राजस्व मण्डल राज0, अजमेर का पत्र दिनांक 5.10.2020, आर0आर0टी0 2019 (2) पेज 1507, डी0एन0जे0 2018 पेज 221, आर0आर0टी0 2019 (2) पेज 1543, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 649 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 7.10.2019 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 7.2.2020 को निरस्त कर दिया गया तद्‌पोरांत अपीलांटस के द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 14.2.2020 को प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 17.2.2020 को नकल प्राप्त हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने बिना किसी विलंब के यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्‌भाविक है । अतःअपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्‌भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 836 में आवागमन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है । केवल मात्र अपीलांटस की आराजी खसरा नंबर 828, 826, 825, 835, 827, 835/6094 से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ग्रेवल सड़क तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, पीसांगन से रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की है जिसके अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाहा गया रास्ता ही रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी पर पहुंच हेतु निकटतम रास्ता है । अधी0न्याया0 द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार से रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की गई है जिससे अपीलांट का यह कथन कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व सूचना नहीं दी गई किया गया कथन गलत है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2019 पेज 119 एवं आर0एल0डब्ल्यू0 2018 (2) पेज 1264 के न्यायिकदृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । सर्वप्रथम हम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्‌भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण सुनना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीसांगन के खाता संख्या 1671 खसरा नंबर 836 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसके लगते हुए पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी खसरा संख्या 828, 826, 825,835, 827, 835/6094 की आराजी है जिससे प्रार्थी ग्रेवल सड़क तक आने जाने की लिए एकमात्र रास्ता है इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है । अतः रास्ता नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी में से 12 फिट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खेत तक की लबांई में कीमतन रास्ता चाहता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी में से 12 फिट चौड़ा कीमतन रास्ता स्वीकृत करके राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते को दर्ज किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, पीसांगन से विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु दिनांक 1.3.2019 तत्पश्चात् दिनांक 12.6.2019 को निर्देशित किया है । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, पीसांगन द्वारा दिनांक 24.7.2019 को अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें यह अंकित किया है कि ग्राम पीसांगन के खसरा नंबर 836 पर आवागमन हेतु वर्तमान राजस्व रिकार्ड व हाल मौके पर रास्ता नहीं है तथा रास्ता नहीं होने से रास्ते की आत्यंतिक आवयकता है । इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.7.2019 में खसरा नंबर 836 पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 828, 827 की दक्षिणी, खसरा नंबर 835/6094 व 835 की दक्षिणी व 825 की उत्तरी सीमा के सहारे दिया जाने वाला रास्ता निकटतम रास्ता होना अंकित किया है । तहसीलदार, पीसांगन की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24.7.2019 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 836 पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा चाहा गया रास्ता निकटतम रास्ता है। धारा 251–ए0 राज0काश्त0अधि0 में काश्तकार की आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर ही रास्ते के आदेश पारित किये जाने के प्रावधान है । हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी में पूर्व से कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 836 की पहुंच हेतु निकटतम रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में दिये गये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमे कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.10.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर